अनुसूची: महानिदेशक
(अक्टूबर 2025 में संशोधित)

1	**पदनाम**	**महानिदेशक**
2	**पदों की संख्या**	01* (2025) (*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन)
3	**वर्गीकरण**	लागू नहीं
4	**वेतनमान**	पे मैट्रिक्स में स्तर 15 (रु. 182200 – 224100)
5	**चयन या अचयन**	लागू नहीं
6	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**50 वर्ष** **टिप्पणी 1:** सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली आयु में छूट समय-समय पर जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशों के अनुसार होगी। **टिप्पणी 2:** एमईआईटीवाई के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाओं में सेवारत कर्मचारियों को डीआर मोड में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट। **टिप्पणी 3:** आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी (न कि वह अंतिम तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पांगी उप-मंडल, संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है)।
7	**सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं**	**I. शैक्षिक योग्यता:** **आवश्यक:** इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल्स/इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार/दूरसंचार/कंप्यूटर विज्ञान में इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री **या** इनमें से किसी भी विषय में पीएचडी।

		वांछनीय: निम्न का पूर्ण ज्ञान- i) भारत सरकार की नीतियाँ ii) कॉर्पोरेट प्रबंधन। **II. आवश्यक अनुभव:** क. उपरोक्तानुसार स्नातकोत्तर डिग्री के मामले में 22 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव अथवा उपरोक्तानुसार पीएचडी के मामले में 17 वर्ष का योग्यता-पश्चात अनुभव। ख. उम्मीदवार के पास वरिष्ठ प्रबंधन पद पर कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
8	**क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी**	लागू नहीं
9	**परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो**	सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष।
10	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत।**	सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) कार्यकाल: अधिकतम 05 वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो।
11	**पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण (आमेलन) द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण (आमेलन) किया जाना है**	केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकायों के प्रतिनियुक्ति अधिकारियों द्वारा भर्ती के मामले में i. नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना: **या** मूल कैडर या विभाग में पे मैट्रिक्स (रु. 144200-218200) के स्तर 14 में तीन वर्ष की नियमित सेवा **और** ii. सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव होना। **टिप्पणी 1:** केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

राजेश्वर त्रिपाठी

		टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष से अधिक नहीं।
12	**यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना क्या है?**	चयन समिति में शामिल होंगे- i. सचिव, एमईआईटीवाई – अध्यक्ष ii. एक प्रख्यात वैज्ञानिक – सदस्य iii. किसी अन्य वैज्ञानिक विभाग के सचिव – सदस्य iv. सचिव, रक्षा मंत्रालय/डीआरडीओ – सदस्य v. संबंधित क्षेत्र का एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य
13	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है**	लागू नहीं

ध्यान दें- अंग्रेजी के अलावा अन्य (हिंदी) संस्करण की व्याख्या में किसी संदिग्धता/विवाद के संदर्भ में स्पष्टीकरण के लिए अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।